न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारीः रतन लाल योगी, आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं0––111/2019
प्रविष्टि दिनांक ––6.9.2019
निर्णय दिनांक––30.1.2020

उनवान

1. राजाराम पुत्र घासी, जाति बैरवा, निवासी ग्राम अरनियाकेदार तहसील व जिला टोंक
2. बनवारी पुत्र घासी जाति बैरवा निवासी ग्राम अरनियाकेदार तहसील व जिला टोंक

प्रार्थीगण

बनाम

1. शांतिस्वरूप पुत्र नाथू जाति बैरवा, निवासी ग्राम अरनियाकेदार तहसील व जिला टोंक
2. बाबूलाल पुत्र गोरधन जाति बैरवा, निवासी ग्राम अरनियाकेदार तहसील व जिला टोंक
3. कमला पुत्री गोरधन जाति बैरवा, निवासी ग्राम अरनियाकेदार तहसील व जिला टोंक
4. गडूल पुत्र हरदेवा जाति बैरवा, निवासी ग्राम अरनियाकेदार तहसील व जिला टोंक
5. गिर्राज पुत्र भंवरलाल जाति बैरवा, निवासी ग्राम अरनियाकेदार तहसील व जिला टोंक
6. सोनू पुत्र भंवरलाल जाति बैरवा, निवासी ग्राम अरनियाकेदार तहसील व जिला टोंक
7. प्रेमदेवी बेवा भंवरलाल जाति बैरवा, निवासी ग्राम अरनियाकेदार तहसील व जिला टोंक
8. हरिप्रसाद पुत्र प्रभूलाल जाति बैरवा, निवासी ग्राम अरनियाकेदार तहसील व जिला टोंक
9. रमेश पुत्र गोविन्दा जाति बैरवा, निवासी ग्राम अरनियाकेदार तहसील व जिला टोंक
10. शाखा प्रबन्धक, इण्डियन ओवरसीज बैंक शाखा टोंक,
11. शाखा प्रबन्धक, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा टोंक
12. शाखा प्रबन्धक, बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बमोर तहसील व जिला टोंक
13. तहसीलदार टोंक, जिला टोंक

अप्रार्थीगण–प्रतिपक्षीगण

उपस्थित–श्री विजय बहादुर सिंह–अभिभाषक प्रार्थीगण
श्री पी0के0 जैन– अभिभाषक अप्रार्थीगण 1 से 3 व 5 से 9

वाद बाबत तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

प्रार्थनापत्र बाबत–अस्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक–30.1.2020

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रार्थीगण वादीगण ने अपने वाद पत्र बाबत तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा के साथ प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार भूमि ख.न. 2 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा ग्राम अरनियाकेदार तहसील व जिला टोंक मे स्थित है। उक्त आराजी मे प्रार्थी सं0 1 का 1/24 हिस्सा व प्रार्थी सं0 2 का 1/16 हिस्सा है तथा शेष हिस्सा विपक्षी सं0 1 ता 9 का हैं। पक्षकार अपने अपने हिस्से पर बहामी बंटवारे के अनुसार काबिज है और काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण ने अपने हिस्से पर सिचाई हेतु कुए का व कच्चा मकान व पानी की टंकी का निर्माण कर रखा है जिससे विपक्षीगण 1 ता 9 का कोई सरोकार नही है। उक्त आराजी प्रार्थीगण व विपक्षीगण 1 ता 9 की संयुक्त खातेदारी की आराजी है जिसका विधिवत तकासमा नही हुआ है। लेकिन विपक्षीगण 1 ता 9 , प्रार्थीगण के कब्जे मे आये दिन हस्तक्षेप करते रहते है। खेतो की मेडो को तोडते रहते है। भूमि को बेचान व अंतरण करने की धमकी देते है। इसलिए उक्त विवाद का स्थाई समाधान करने के लिए उक्त संयुक्त आराजी का विधिवत तकासमा किया जाना आवश्यक है जिसका वाद विचाराधीन है। अतः विपक्षीगण 1 ता 9 को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि वे ख.न. 2 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा ग्राम अरनियाकेदार तहसील व जिला टोंक मे प्रार्थीगण वादीगण के

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

Scanned by CamScanner

कब्जेकाश्त मे हस्तक्षेप व मजाहमत नही करे तथा वादग्रस्त आराजी को अपने हक व हिस्से को अन्य को किसी भी प्रकार से अंतरित नही करे।

प्रार्थनापत्र दर्ज कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1 ता 3 व 5 ता 9 की ओर से प्रस्तुत जवाब के अनुसार प्रार्थनापत्र अस्वीकार है। ख.न. 2 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा ग्राम अरनियाकेदार का पक्षकारो मे किसी भी प्रकार से बहामी बंटवारा नही हो रखा है। भूमि संयुक्त कब्जे व खातेदारी मे है। वाद व प्रार्थनापत्र झूठा व मनगढन्त है। भूमि का कोई भी हिस्सा निर्धारित नही है। किसी का भी पृथक से कब्जा काश्त नही है। उक्त भूमि मे स्थित चाह भी सभी सहकृषको के अधिकार व अधिपत्य का है जिसे सभी ने मिलकर वर्षो पहले निर्मित किया है। बेचान करने का तथ्य असत्य है। सहकृषको अपने हिस्से को किसी अन्य को अन्तरण पर कोई कानून पाबन्दी नही है। प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर कोई पृथक से कब्जा नही है। उक्त संयुक्त भूमि पर निर्मित पानी की टंकी, कुए व मकान पर सभी सहकृषको का अधिकार है। प्रार्थनापत्र चलने योग्य नही है। अतः प्रार्थनापत्र इसी स्तर पर खारिज किया जावे।

साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे जमाबंदी संवत 2070–73, खसरा गिरदावरी संवत 2075 आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली किये गयें।

प्रकरण मे विद्वान अभिभाषगण की बहस सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण ने अपने–अपने कथनो को दोहराया। बहस का प्रथक से विवेचन नही किया जा रहा है।

हमने प्रार्थनापत्र, जवाब प्रार्थनापत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अध्ययन किया एवं अभिभाषक उभय पक्ष बहस पर मनन किया। कब्जे, बहामी बंटवारे तथा कुए व पानी की टंकी संबंधी तथ्यो का निर्णय, साक्ष्य दस्तावेजो के आधार पर वाद निर्णय के समय तय किये जावेंगें। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2070–73 ग्राम अरनियाकेदार तहसील टोंक के अनुसार विवादित भूमि संयुकत खातेदारी की होना साबित है साथ ही खसरा गिरदावरी के अनुसार सहखातेदारो का संयुक्त रूप से कब्जा अंकित है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का पृथक से कब्जा अंकित नही है जिससे पृथम दृष्टया बहामी बंटवारे का तथ्य साबित नही है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया केस प्रार्थीगण के पक्ष मे नही है।

चूंकि वर्तमान मे विवादित भूमि संयुक्त खातेदारी व कश्तकारी की है और पक्षकार उक्त भूमि पर सहकृषक के रूप मे काबिज है। जब तक उक्त भूमि का विधिवत विभाजन नही हो जाता तब तक सभी सहकृषक संयुक्त रूप से काबिज है। काश्तकारी अधिनियम के अनुसार संयुक्त खातेदारी की भूमि पर सभी सहखातेदारो का भूमि के प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जाता है। इस प्रकार विवादित भूमि के प्रत्येक हिस्से पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण दोनो का कब्जा माना जायेगा। और यदि विपक्षीगण को भूमि के किसी विशेष हिस्से के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया गया तो वे अपने हक व अधिकारो वंचित हो जायेंगे। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के हक मे ना होकर अप्रार्थीगण के हक मे है।

चूंकि वर्तमान मे विवादित भूमि संयुक्त खातेदारी मे होने के कारण उसमे निर्मित सभी सुविधाए भी संयुक्त है इसके आधार पर संयुक्त भूमि पर निर्मित कुआ व पानी की टंकी पर सभी सहकृषको का समान रूप से अधिकार व हक है यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई तो अप्रार्थीगण को काश्त करने पर असुविधा की संभावना है। अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष मे साबित नही है। इस प्रकार प्रार्थनापत्र के तीनो घटक प्रार्थीगण के पक्ष मे साबित नही होने के कारण यह प्रार्थनापत्र स्वीकार करना न्यायालय उचित नही समझता है। अतः यह, प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है।

आदेश

फलतः प्रार्थनापत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा भूमि ख.न. 2 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा ग्राम अरनियाकेदार, तहसील व जिला टोंक विधि सम्मत नही होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर, मूल वाद मे शामिल हो।

निर्णय आज दिनांक 20/11/20 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(रतन लाल योगी)
उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

Scanned by CamScanner